भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2901

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2017 को दिया गया)

कंपनियों के कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलाप

2901. श्री धर्मपुरी श्रीनिवास :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कंपनियों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलाप समुचित नहीं हैं और उनमें कुछ कदाचार पाए गए हैं, यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे कुछ कदाचारों का पता लगाया गया है अथवा सरकार के संज्ञान में आए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो कंपनी द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) कारपोरेट घरानों द्वारा समाज की आवश्यकताओं को सक्रियता से ध्यान में रखते हुए इन नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) से (ग): मंत्रालय को कंपनियों द्वारा उनकी सीएसआर नीतियों के कार्यान्वयन के दौरान किसी कदाचार के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

(घ): मंत्रालय ने स्पष्टीकरण परिपत्र और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ ए क्यू) क्रमशः दिनांक 18.6.2014 और 12.1.2016 को जारी किए थे जिससे सीएसआर का प्रभावी कार्यान्वयन सुगम हो। इसके अतिरिक्त कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत क्षेत्रीय निदेशालय के कार्यालयों द्वारा कंपनियों द्वारा सीएसआर प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।

*****